

न्यायालय-सिराज अली, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक.कं. -516 / 2010

संस्थित दिनांक-12.07.2010

फाईलिंग क.234503000722010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

सुनील ताम्रकार पिता जगदीश ताम्रमार, उम्र-31 वर्ष,
निवासी-बैराकपुरा, गीता भवन वाली गली, वार्ड नंबर-28,
श्याम पार्षद के मकान के सामने भिण्ड, थाना कोतवाली,
जिला-भिण्ड (म.प्र.)

----- आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-29 / 10 / 2015 को घोषित)

1- आरोपी सुनील के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-380, 457 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-23.02.2009 को 3:00 बजे से दिनांक-26.02.2009 को 12:00 बजे के मध्य, थाना मलाजखण्ड अंतर्गत फरियादी शारदाप्रसाद के मकान से जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है में प्रवेश कर फरियादी के कब्जे से 75,000/-रुपये नगदी, एक सैमसंग कम्पनी का मोबाईल तथा आयुर्वेद चिकित्सा प्रमाणपत्र उसकी सहमति के बगैर बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की तथा फरियादी शारदाप्रसाद के आवासीय मकान में चोरी करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व अवैध रूप से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी शारदाप्रसाद ग्राम मोहगांव का रहने वाला है तथा आयुर्वेद डॉक्टरी का पेशा करता है। उसने विवाह नहीं किया है तथा अपने मकान में अकेला ही रहता है और शिवबाबा आध्यात्मिक संस्था का ज्ञान अपने घर पर ही देता है। उसका कोई नहीं है, इसलिए उसने अपने भतीजे ओमप्रकाश के लिए दूध डेयरी या एस.टी.डी. बूथ का धंधा खोलने

के लिए अपने पेशे से वर्ष 2000 से उक्त दिनांक तक 57,000/-रुपये जमा किया था तथा दिनांक-21.02.2009 को गांव के किसान पंवार के पास अपनी प्लेटिना मोटरसाइकिल गिरवी रखकर 20,000/-रुपये लिये थे। उसका बैंक में कोई खाता नहीं है, इसलिए पैसे वह घर में ही रखता था। इस प्रकार कुल 77,000/-रुपये उसने अपने मकान के कमरे में रखी पेटी के अंदर एक भूरे रंग के बैग में रखा था तथा उसी बैग में उसका आयुर्वेद चिकित्सा प्रमाणपत्र भी था। दिनांक-23.02.2009 को उसने अपने रुपये देखे थे। शिवबाबा का ज्ञान पाने के लिए सुनील ताम्रकार का पिछले तीन-चार माह से उसके घर आना-जाना था। वह अपने फूफा गणेश प्रसाद ताम्रकार के घर मोहगांव में रहता था। दिनांक-23.02.2009 को 3:00 बजे दिन में सुनील ताम्रकार उसके घर में आकर 2,000/-रुपये उधार मांगा तो उसने उसी पेटी में से बैग निकालकर 77,000/-रुपये में से 2,000/-रुपये सुनील को दिए थे तथा शेष 75,000/-रुपये उसी बैग में रख दिए थे और मोबाईल सैमसंग कंपनी का जिसमें सिम क्रमांक-9893380820 लगी थी, बंद कर उसी बैग में रखा और बैग पेटी के अंदर रखा दिया, जिसे सुनील ताम्रकार ने देखा था। उसे जब मोबाईल करने की आवश्यकता होती थी, तो वह मोबाईल निकालकर बात करता था। दिनांक-26.02.2009 को दिन के 12 बजे अपने डॉक्टरी पेशे के पैसे रखने तथा मोबाईल करने पेटी खोलकर पैसे रखने का बैग देखा, तो वह बैग नहीं मिला, जिसे घर में तलाश किया, किन्तु बैग नहीं मिला। उसे संदेह है कि उसका बैग सुनील ताम्रकार ने चोरी कर लिया है। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी शारदाप्रसाद ने थाना मलाजखण्ड में आरोपी सुनील ताम्रकार के विरुद्ध अपराध क्रमांक-10/2009 अंतर्गत धारा-380 भा.दं.सं. पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये, विवेचना के दौरान आरोपी सुनील ताम्रकार से मेमोरेण्डम कथन के आधार पर चोरी की गई राशि में से 50,500/-रुपये आरोपी के बैंक खाता में से निकालने पर जप्त करने के पश्चात् बैंक की पासबुक एवं अन्य दस्तावेज जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया तथा आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी सुनील को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-380, 457 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार

किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी का अभियुक्त परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत किए जाने पर उसने अपने कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि :-

1. क्या आरोपी दिनांक-23.02.2009 को दिन के 3:00 बजे से दिनांक-26.02.2009 को दिन के 12:00 बजे के मध्य, थाना मलाजखण्ड अंतर्गत फरियादी शारदाप्रसाद के मकान से जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है में प्रवेश कर फरियादी के कब्जे से 75,000/-रुपये नगदी, एक सैमसंग कम्पनी का मोबाईल तथा आयुर्वेद चिकित्सा प्रमाणपत्र उसकी सहमति के बगैर बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी शारदाप्रसाद के आवासीय मकान में चोरी करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व अवैध रूप से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन किया ?

विचारणीय बिन्दु क.-1 व 2 पर सकारण निष्कर्ष

5— शारदाप्रसाद (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी सुनील को पहचानता है। घटना 22 फरवरी 2008 की रात के समय की है। आरोपी सुनील आया था और 77,000/-रुपये जो पेटी में रखे थे, चोरी करके ले गया और एक मोबाईल सैमसंग कंपनी का भी लेकर गया था और कुछ नहीं ले गया। वह डॉक्टर का काम करता है। उक्त पैसे में 20,000/-रुपये ब्याज में उधार मांग कर लाया था और 60,000/-रुपये उसने जमा करके रखा था। उक्त पैसे पेटी के अंदर एक लाल बैग में रखे थे। उसमें उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी रखा था, उसे भी चोरी कर ले गया था। आरोपी उसका कुछ नहीं है, किन्तु वह घर में आना-जाना करता है। आरोपी भिंड का रहने वाला है और यहां पर गणेश के यहां रहता है। आरोपी घटना के पहले कई बार आया था। उसके मोबाईल में एयरटेल की सिम थी, जिसका नंबर उसे याद नहीं है। उक्त सामान के चोरी होने की बात उसने ओमप्रकाश और उसके भाई दिलीप को बताया था। उसने घटना की रिपोर्ट दो दिन बाद किया था। उसे मालूम था कि आरोपी ने चोरी किया है और वह लौटा देगा कहकर वह दो दिन

तक रास्ता देखता रहा, किन्तु जब वह नहीं आया, तब घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 ए एवं प्रदर्श पी-1 बी है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस जांच करने आई थी और उसकी निशानदेही पर मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसके घर से 77,000/—रुपये चोरी हुए थे। यदि उसकी रिपोर्ट में 75,000/—रुपये चोरी होने की रिपोर्ट लिखी हो तो वह गलत है। इस प्रकार साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 ए में 75,000/—रुपये चोरी होने से हटकर 77,000/—रुपये चोरी होना बताया है। यद्यपि उक्त चोरी के पूर्व 77,000/—रुपये में से 2,000/—रुपये आरोपी को पेट्टी में से निकालकर दिया जाना उक्त रिपोर्ट में एवं साक्षी के पुलिस कथन में लेख है। साक्षी के द्वारा उक्त रिपोर्ट लिखाए जाने के लगभग तीन वर्ष के पश्चात् न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य पेश की गई है। ऐसी दशा में उक्त अंतराल में चोरी हुई राशि के अंतर के संबंध में कुछ विरोधाभासी कथन होने से चोरी की घटना को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता।

7— गणेश प्रसाद ताम्रकार (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग एक-डेढ़ वर्ष पूर्व ग्राम मोहगांव की है। डॉक्टर शारदाप्रसाद उसके पास आए थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे फरियादी ने चोरी होने की जानकारी दी थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलों का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार साक्षी ओमप्रकाश (अ.सा.2), दिलीप सिंह (अ.सा.4), बालकिशन सिंह (अ.सा.5) एवं गणेश ताम्रकार (अ.सा.9) ने भी अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है।

8— दिलीप पांचे (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। वह आरोपी को नहीं पहचानता। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-6 एवं जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-7 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने मेमोरेण्डम कार्यवाही एवं जप्ती कार्यवाही से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस वाले के कहने पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके सामने कुछ जप्त नहीं हुआ था। इस प्रकार इस साक्षी ने भी

अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।

9— रविशंकर (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। वह शाखा उमरिया स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में प्रधान केशियर के पद पर वर्ष 2006 से 2010 तक पदस्थ रहा। पुलिस ने उससे बैंक के ग्राहक के खाते के संबंध में पूछताछ की थी। खातेदार सुनील के बैंक खाते में कुछ राशि जमा की गई थी, जो उसे याद नहीं। उसके द्वारा खाते से निकासी का आदेश प्राप्त होने पर भुगतान किया गया था। कितनी राशि का भुगतान किया गया था, उसे याद नहीं है। उसने पूछताछ में पुलिस को जानकारी थी। पुलिस ने उसकी शाखा से सुनील के खाते खोलने का फार्म व दस्तावेज जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-8 एवं 9 तैयार किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में उक्त जप्ती कार्यवाही उसके सामने पुलिस द्वारा किये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने घटना के लगभग चार साल बाद न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कथन किये हैं। ऐसी दशा में उसके समक्ष की गई जप्ती कार्यवाही को याददाश्त कम होने के आधार पर समर्थन न किया गया हो, किन्तु साक्षी ने उक्त जप्ती कार्यवाही में घटना के समय शाखा उमरिया स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के प्रधान केशियर के रूप में पदस्थ होते हुए हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है।

10— विनोद खट्टर (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता तथा उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसका खाता स्टेट बैंक इन्दौर शाखा उमरिया में है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आर्टिकल ए-1 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और पर्सनल सी.आई.एफ फार्म आर्टिकल डी-1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी की पहचान नहीं की है, किन्तु आरोपी के बैंक खाते में अन्य खातेदार के रूप में खाता खुलवाने हेतु पहचान के रूप में हस्ताक्षर किया जाना स्वीकार किया है, जिसका खण्डन उसके प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी का उसका स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर शाखा उमरिया में खातेदार होना और उसी बैंक शाखा में आरोपी का खाता खोलने की पहचान किया जाना प्रकट होता है।

11— अनुसंधानकर्ता अधिकारी भागचंद झारिया (अ.सा.8) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-07.05.2010 को थाना मलाजखण्ड में सहायक

उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-10/09, धारा-380 भा.द.वि. की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान मुखबीर की सूचना पर आरोपी को पकड़कर अपनी अभिरक्षा में लेकर थाना मलाजखण्ड लाया था। थाना मलाजखण्ड में साक्षियों के समक्ष पूछताछ करने पर आरोपी सुनील ने मेमोरेण्डम कथन में बताया था कि दिनांक-23.02.2009 को शारदाप्रसाद की पेटी खोलकर भूरे रंग का पैसों से भरा बैग चोरी किया था, जिसमें 75,000/-रुपये नगदी थे, जिसमें 50-50 रुपये वाली 11 गड़्डी एवं 100-100 रुपये वाली दो गड़्डी थी एवं उसमें रखी सैमसंग कम्पनी का मोबाईल एवं शारदा प्रसाद का चिकित्सा प्रमाणपत्र था। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा उमरिया में माह मार्च वर्ष 2009 में खाता क्रमांक 63040653624 खोलकर चोरी के 75,000/-रुपये में से 500/-रुपये का खाता खोलकर 50,000/-रुपये जमा कर दिया था, मोबाईल को रेल्वे स्टेशन उमरिया में अपरिचित आदमी को 700/-रुपये में बेच दिया था, बैंक की पासबुक एवं चिकित्सा प्रमाणपत्र ग्राम भिण्ड घर में रख दिया हूं, बाकी बचे रूपयों को अपने उपयोग में ले लिया हूं तथा चोरी के रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा उमरिया से निकाल कर दे देता हूं का कथन दिया था, जो प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके तथा आरोपी के हस्ताक्षर लिया था। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर साक्षियों के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा उमरिया गया, फिर आरोपी ने 1000 के 50 नोट, जो 50,000/-रुपये तथा 500 का एक नोट कुल 50,500/-रुपये आरोपी सुनील के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा उमरिया द्वारा निकाल कर पेश करने पर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-7 के अनुसार साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिस पर उसके तथा आरोपी के हस्ताक्षर हैं।

12- उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि दिनांक-06.03.2009 स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा उमरिया में घनश्यामदास बैंक के प्रबंधक से प्रतिवेदन लेकर आरोपी सुनील द्वारा खाता क्रमांक-63040653624 खोलने का फार्म जिसमें आरोपी सुनील की फोटो लगी है, मूल प्रति आर्टिकल ए-1 है एवं दिनांक 08.05.2010 को 50,500/-रुपये का निकासी पत्र जो आर्टिकल ए-2 है, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-8 के माध्यम से जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी घनश्यामदास, रविशंकर, विनोद, गणेश के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था तथा आरोपी को वापस थाना लेकर आया था। दिनांक-09.05.2010 को आरोपी को गिरफ्तार कर

गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-10 की कार्यवाही की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-13.05.2010 को आरोपी के पिता जगदीश प्रसाद द्वारा थाना मलाजखण्ड में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा उमरिया की बचत खाता पासबुक जो आर्टिकल ए-3 को जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-11 के माध्यम से साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-22.06.2010 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा उमरिया के असिस्टेंट मैनेजर धनपाल झामरे से आरोपी सुनील द्वारा खोले गये खाता क्रमांक-63040653624 के खाते का विवरण आर्टिकल ए-4 है, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-9 के माध्यम से जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही धनपाल झामरे के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-08.05.2010 को घनश्यामदास गुप्ता से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-8 के माध्यम से बिजली बिल आर्टिकल ए-5 है, मतदाता पहचान पत्र आर्टिकल ए-6 जप्त किया था। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था।

13- उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन विलंब से दर्ज कराई गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि विवेचना हेतु डायरी उसे घटना के एक वर्ष तीन माह पश्चात् प्राप्त हुई थी। प्रकरण में फरियादी के द्वारा विलंब से रिपोर्ट लिखाए जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में यह कारण दर्शित है कि आरोपी की तलाश पतासाजी करने से विलंब हुआ है। स्वयं फरियादी शारदाप्रसाद (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसे मालूम था कि आरोपी ने चोरी किया है और वह लौटा देगा। इस कारण दो दिन तक वह रास्ता देखता रहा और उसके नहीं आने पर उसने रिपोर्ट की थी। इस प्रकार मामलों में विलंब से रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के संबंध में जो स्पष्टीकरण पेश किया गया है वह स्वाभाविक है। रिपोर्ट लिखाए जाने में हुआ दो दिन का विलंब से अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता है।

14- फरियादी शारदाप्रसाद (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय आरोपी के द्वारा उसके आधिपत्य से 77,000/-रुपये, एक मोबाईल चोरी करके ले जाने के कथन किये हैं, जिसका बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार मामलों में फरियादी शारदाप्रसाद के आधिपत्य से उक्त चोरी किया

जाना प्रमाणित है। उक्त चोरी आरोपी के द्वारा की गई या नहीं, इस संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना है।

15— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट फरियादी शारदाप्रसाद के द्वारा लिखाई गई है। मामलों में अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता अधिकारी भागचंद झारिया (अ.सा.8) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी से मेमोरेण्डम कथन के अनुसार यह जानकारी प्राप्त की गई होना बताया है कि आरोपी ने चोरी की गई राशि में से 50,500/—रुपये उसके स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर शाखा उमरिया के खाते में जमा की गई है। जप्ती अधिकारी के द्वारा उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपी ने उसके खाते से 50,500 रुपये निकालकर दिए जाने पर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-8 के अनुसार जप्त किया जाना प्रकट होता है। इस संबंध में जप्ती अधिकारी द्वारा जप्तशुदा दस्तावेज आरोपी के बैंक में खाता खोलने का फार्म आर्टिकल ए-1 से यह प्रकट होता है कि आरोपी सुनील ने दिनांक-04.03.2009 को अर्थात् चोरी की घटना से लगभग एक सप्ताह के भीतर बैंक में खाता खोलने हेतु फार्म भरा था, जिसमें आरोपी सुनील का खाता क्रमांक-63040653624 लेख है। प्रकरण में प्रस्तुत स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर उमरिया शाखा द्वारा जारी स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट प्रदर्श ए-4 में आरोपी सुनील के उक्त खाता का दिनांक-06.03.2009 से दिनांक-08.05.2010 के विवरणी के रूप में यह लेख है कि आरोपी सुनील ने दिनांक-06.03.2009 को 500/—रुपये जमा कर दिनांक-07.03.2009 को 50,000/—रुपये जमा किया था। इसी विवरणी में आरोपी सुनील से दिनांक-08.05.2010 को जप्त की जाने वाली राशि को निकासी किये जाने का भी उल्लेख है।

16— आरोपी से जप्तशुदा राशि आरोपी के द्वारा उसके बैंक खाते से आर्टिकल ए-2 के अनुसार दिनांक-08.05.2010 को 50,500/—रुपये की राशि निकासी करने की पुष्टि होती है। प्रकरण में जप्तशुदा आरोपी के बैंक खाते की पासबुक आर्टिकल ए-3 में भी बैंक विवरणी में राशि जमा करने के प्रविष्टि का इन्द्राज होना प्रकट होता है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आरोपी ने चोरी की घटना के लगभग एक सप्ताह के भीतर अपना बैंक का खाता खोलकर 50,500/—रुपये जमा किया था। आरोपी का बैंक में खाता खोलने बाबत फार्म में यह उल्लेखित है कि वह मजदूरी कर सालाना आय 40,000/—रुपये प्राप्त करता है। आरोपी के विरुद्ध उक्त राशि चोरी किये जाने के संबंध में नामजद रिपोर्ट लिखाई गई

है, जिसके पश्चात् आरोपी से उक्त राशि जप्त हुई है। आरोपी ने उक्त राशि चोरी की रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् अपने बैंक के खाते में उक्त राशि जमा की थी। ऐसी दशा उक्त सभी परिस्थितियों एवं साक्ष्य से यह उपधारणा की जा सकती है कि आरोपी ने ही फरियादी के आधिपत्य से उक्त राशि की चोरी कर बैंक में खाता खोलकर जमा कर दी।

17— बचाव पक्ष की ओर से यह प्रमाणित खण्डन में यह साबित किया गया है कि आरोपी से जप्तशुदा राशि को आरोपी ने किसी अन्य साधन से प्राप्त किया है या चोरी के पहले से ही उक्त राशि उसके आधिपत्य में थी। अतएव उक्त उपधारणा का खण्डन न होने से तथा प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट होने के साथ प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण आरोपी के निर्दोष होने की संभावना प्रकट नहीं होती है। प्रकरण में मात्र इस कारण से अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं माना जा सकता कि अन्य साक्षीगण ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। प्रकरण में फरियादी शारदाप्रसाद (अ.सा.1), अनुसंधानकर्ता भागचंद झारिया (अ.सा.8) की साक्ष्य अखण्डित रही है, जिन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। इसके अलावा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का भी बचाव पक्ष की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियोजन ने आरोपी के द्वारा उक्त चोरी का अपराध किये जाने के संबंध में अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है।

18— प्रकरण में घटना के समय आरोपी का चोरी करने के आशय से फरियादी शारदाप्रसाद के आवासीय मकान में प्रवेश करने का तथ्य प्रकट नहीं होता है। स्वयं फरियादी शारदाप्रसाद (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि आरोपी उसके घर अक्सर आता था। घटना की रात को भी सुनील फरियादी की उपस्थिति में ही आया था और उसकी जान-पहचान का होने का कारण आरोपी फरियादी के घर में प्रवेश किया था। इस प्रकार आरोपी के द्वारा घटना के समय चोरी करने के आशय से फरियादी शारदाप्रसाद के आवासीय मकान में अवैध रूप से प्रवेश करने का तथ्य स्पष्ट साक्ष्य के

अभाव में आरोपी के विरुद्ध रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

19— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित किया है कि उक्त घटना के समय फरियादी के आवासीय मकान से आरोपी ने फरियादी के कब्जे से 75,000/-रुपये नगदी, एक सैमसंग कम्पनी का मोबाईल तथा आयुर्वेद चिकित्सा प्रमाणपत्र उसकी सहमति के बगैर बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की। फलतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-380 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

20— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

21— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उसके द्वारा मामले में वर्ष 2010 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहा हैं। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

22— आरोपी के द्वारा फरियादी के आवासीय मकान से बड़ी राशि की चोरी करने का गंभीर अपराध किया गया है। अतएव अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-380 के अपराध के अंतर्गत 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को एक माह का कठोर कारावास भुगताया जावे।

23— आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

24— आरोपी सुनील दिनांक—10.05.2010 से दिनांक—14.07.2010 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। उक्त अभिरक्षा की अवधि मूल कारावास में समायोजित किये जाने के संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

25— प्रकरण में जप्तशुदा राशि 50,500/—रुपये फरियादी शारदाप्रसाद को अपील अवधि पश्चात् सुपुर्द किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट